रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4913] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940
No. 4913] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6143(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा विलयित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) कार्यान्वित कर रहा है;

और जब कि स्कीम जीवन बीमा कवर प्रदान करने का ध्येय है और जहां भारत सरकार मृत्यु या नि:शक्तता के लिए दुर्घटना बीमा हथकरघा बुनकर और कर्मकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को वार्षिक प्रीमियम (जिसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) इसका शेयर देते हैं जो स्कीम मार्ग दर्शक सिद्धांत के विस्तार में यथा परिभाषित मानदंड की पात्रता को पूरा करते हैं ।

और यत: पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय शामिल है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1 (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यष्टिक से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूरा करें।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टिक को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2019 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) जा सकते हैं ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है कि जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा;

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन व्यष्टि को आधार समनुदेशित किया जाना है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-

(i) मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) कोई सरकारी पहचान-पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान-पत्र; या

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(i) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2019 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सके और उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए ।

(ii) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के क्षेत्र कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित प्रभारी अधिकारी या उसके कार्यान्वयन अभिकरण या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं ।

(iii) यदि, स्कीम के तहत लाभार्थियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है और किसी भी कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, तो विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करके यूआईडीएआई के नामांकन और अद्यतन ग्राहक के द्वारा *"मेरा आधार सर्च करें"* सुविधा प्रदान करेंगे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आधार संख्या को साझा करने, परिचालित करने अथवा प्रकाशित करने पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके तहत बने विनियमों के उपाबंध के अध्यधीन, लाभार्थी के आधार को सर्च करने के लिए अभीष्ट ऑपरेटर के पास अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर, अंगुलियों की छाप और अन्य ब्यौरे देकर सहायता मोड में अपना आधार सर्च करें ।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमीट्रिक के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित अपवाद क्रियाविधि अपनाई जाएगी, अर्थात :-

(क) यदि अंगुलियों की छाप खराब क्वालिटी की है तो प्रमाणीकरण के लिए आईआरआईएस स्केन की सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके लिए विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और स्कीम के कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सेवा प्रदाता अभिकरण से, निर्बाध रीति से फायदों के परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के स्केनर सहित आईआरआईएस स्केनर के लिए उपाबंध करेंगा ;

(ख) यदि लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिकों की अंगुलियों की छाप अथवा आईआरआईएस प्रमाणीकरण में कठिनाई हो तो चेहरे का प्रमाणीकरण किया जाएगा और विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और

कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों अथवा ऐसे लाभार्थियों के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए यथासंभव व्यवस्था करेगा, जिनके प्रमाणीकरण के लिए अन्य तरीके विफल हो गए हों;

(ग) यदि अंगुलियों की छाप अथवा आईआरआईएस अथवा चेहरे के प्रमाणीकरण के ज़रिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है तो जहां कहीं भी संभव और अनुमत्य हो सीमित समय की वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी), जैसा भी मामला हो, की सुविधा दी जाए ;

(घ) (i) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी अथवा टीओटीपी प्रमाणीकरण संभव न हो, वहां मूल आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जाए, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड से सत्यापित किया जा सकता है ;

(ii) उप खंड (i) के प्रयोजन के लिए, विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सेवा परिदान केन्द्र पर क्यूआर कोड रीडर प्रदान करेगा ताकि वह ई-आधार पर आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड को पढ़ सकेगा जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड की प्रामाणिकता का सत्यापन करने की अनुमति देता है;

(iii) क्यूआर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकेगा क्योंकि यह आधार धारक के डिजीटल हस्ताक्षरित विवरण प्रदान करता है और ऐसे सभी मामलों में लाभों अथवा सेवा को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए अपवाद क्रियाविधि रजिस्टर में इस संव्यवहार को विधिवत दर्ज करके प्रदान किया जाएगा, जिसकी समीक्षा की जाएगी और विभाग द्वारा अपने क्षेत्र कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आवधिक लेखा परीक्षा की जाएगी तथा इन रजिस्टरों का रखरखाव और आवधिक निरीक्षण अपवाद क्रियाविधि का एक आवश्यक घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 15/1/2018-डीसीएच/एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस/डब्ल्यूडब्ल्यूएस/डीबीटी]

संजय रस्तोगी, विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2018

S.O. 6143(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of the Development Commissioner for Handlooms under Ministry of Textiles in the Government of India (*hereinafter referred to as the Department*), is implementing Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and converged Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY) under the **Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme** (*hereinafter referred to as the Scheme*) as a Central Sector Scheme which is implemented through Life Insurance Corporation of India (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, the Scheme aims at providing life insurance cover and accidental insurance cover for death or disability where Government of India gives its share of the annual premium (*hereinafter referred to as the benefits*) to

the handloom weavers and workers (*hereinafter referred as the beneficiaries*), who meet the eligibility criteria as defined in the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government in the Ministry of Textiles hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 31st March, 2019, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities to the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) Any of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Any Government ID Card; or

(vi) Bank or Post Office Passbook with photo; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Identity Card issued by Office of the Development Commissioner for Handlooms, M/o Textiles or the State Governments; or

(ix) Any other document as specified by the Central Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an Officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency, shall make all required arrangements including the following, namely:-

(i) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by the 31st March 2019, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(ii) in case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1,

with the Officer-In-charge specifically designated by the field offices and zonal offices of the Department, or its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

(iii) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide *"Search My Aadhaar"* facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, address, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provision of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency of the Scheme shall through its services delivery agency make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication shall be used and the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail;

(c) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) (i) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, service or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter;

(ii) for the purpose of sub-clause (i), the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar Letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar Card in an offline manner;

(iii) The QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar holder and in all such cases the benefits or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency and maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.15/1/2018-DCH/HWCWS/WWS/DBT]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.17 19:17:35 +05'30'